भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2792
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति

2792. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पंजाब सहित देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित सड़कों की कुल लंबाई का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंजाब में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं के लिए कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है और अन्य राज्यों की तुलना में इसकी मात्रा कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पंजाब में कितने गांवों को हाल ही में सड़कों से जोड़ा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पंजाब के कंडी (तलहटी) क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार लाने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है। भारत सरकार ने गरीबी कम करने की कार्यनीति के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के माध्यम से राज्यों की सहायता के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- I) की शुरूआत की थी। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत , अप्रैल, 2019 से मार्च 2024 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 1,38,161 किलोमीटर लंबी कुल 18,452 सड़कों को मंजूरी दी गई और 1,61,815 किलोमीटर लंबी 31,313 सड़कों का काम पूरा किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत और पूर्ण किए गए सड़क कार्यों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत और निर्मित जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सड़क परियोजनाओं का विवरण वेबसाइट **omms.nic.in** => **Progress Monitoring** => **State MPR Abstract report** पर उपलब्ध है।

(ख) पीएमजीएसवाई के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन/जारी करना राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है और यह अन्य बातों के साथ-साथ , वर्तमान कार्यों, राज्य की निष्पादन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधियों पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय निधियों और पीएमजीएसवाई के तहत किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का पंजाब सहित राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।.

(ग और घ) पीएमजीएसवाई-I के तहत, बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्कता प्रदान करने हेतु संपर्कविहीन पात्र बसावटों को शामिल लिया गया था। पंजाब राज्य में , 500+ जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत, पीएमजीएसवाई-I के तहत संपर्कता प्रदान करने के लिए कुल 389 बसावटों को मंजूरी दी गई थी और वितीय वर्ष 2013-14 के दौरान सभी बस्तियों को पहले ही संपर्कता प्रदान कर दी गई है। इसलिए, पिछले पांच वर्षों के दौरान संपर्कता के लिए कोई भी संपर्कविहीन पात्र बसावट शेष नहीं थी।

पंजाब राज्य में स्वीकृत और जोडी गई बस्तियों का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत बस्तियों का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट **omms.nic.in=>progress monitoring=>Habitation coverage report** पर देखा जा सकता है।

अन्य घटक जैसे कि पीएमजीएसवाई II और पीएमजीएसवाई III को भी क्रमशः विकास केंद्रों तक बेहतर संपर्कता तथा विद्यालयों , अस्पतालों, ग्रामीण कृषि बाजारों तक बेहतर पहुंच हेतु ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा , भारत सरकार ने सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के चरण IV की शुरूआत की है ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+ और आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों सहित विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में 250+ की आबादी वाली 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जा सके। कंडी और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पंजाब में पात्र संपर्कविहीन बसावटों , यदि कोई हों, तो उन्हें भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

***

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत और निर्मित सड़कों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	स्वीकृत			निर्मित*		
	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी में)	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी में)	पुल
अंडमान और निकोबार	35	75	0	73	119	0
आंध्र प्रदेश	615	4192	92	602	3533	128
अरुणाचल प्रदेश	276	2294	37	426	5605	179
असम	826	5405	120	3332	9727	1109
बिहार	1162	9528	909	2514	9048	1076
छत्तीसगढ़	1280	9489	178	1741	10546	192
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	305	3006	191	258	2653	45
हरियाणा	259	2496	0	244	2366	0
हिमाचल प्रदेश	411	4374	23	1098	6070	50
जम्मू और कश्मीर	344	2432	73	1510	9040	151
झारखंड	927	7691	288	2115	6895	324
कर्नाटक	825	5603	116	709	5218	91
केरल	251	1261	1	164	663	3
लद्दाख	63	498	1	51	526	1
मध्य प्रदेश	1235	12937	836	1886	13915	930
महाराष्ट्र	928	6208	302	399	3214	154
मणिपुर	111	827	69	379	3726	106
मेघालय	77	544	2	575	2708	89
मिजोरम	23	682	0	122	1279	0
नागालैंड	53	734	5	45	624	53
ओडिशा	1464	9653	152	4315	15210	344
पुदुचेरी	31	66	0	30	62	0
पंजाब	**335**	**3338**	**32**	**157**	**1728**	**4**
राजस्थान	951	8699	41	896	7428	40

सिक्किम	48	305	39	179	743	50
तमिलनाडु	1814	7318	83	1977	5833	66
तेलंगाना	487	2995	232	331	2141	144
त्रिपुरा	141	1084	7	136	600	16
उत्तर प्रदेश	2569	19174	15	2020	16272	11
उत्तराखंड	462	4395	151	1195	8961	232
पश्चिम बंगाल	144	857	20	1834	5361	54
कुल	**18452**	**138161**	**4015**	**31313**	**161815**	**5642**

* इसमें पूर्व वर्षों में स्वीकृत भी शामिल है।

अनुबंध- II

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गईराज्यवार कैंद्रीय निधियां और किया गया व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य**	**जारी**	**व्यय (राज्य अंश सहित)**
1	अंडमान और निकोबार	33.66	39.67
2	आंध्र प्रदेश	1364.24	2361.11
3	अरुणाचल प्रदेश	4524.55	5545.79
4	असम	7566.20	10406.58
5	बिहार	3117.43	9623.05
6	छत्तीसगढ़	4331.13	6493.42
7	गोवा	0.00	0.00
8	गुजरात	839.62	1385.35
9	हरियाणा	611.52	1040.37
10	हिमाचल प्रदेश	3789.90	3716.94
11	जम्मू एवं कश्मीर	5772.31	6113.51
12	झारखंड	1593.34	5064.25
13	कर्नाटक	2080.50	3497.42
14	केरल	299.62	530.77
15	मध्य प्रदेश	5957.65	9469.49
16	महाराष्ट्र	2003.80	3386.83
17	मणिपुर	2332.78	2635.21
18	मेघालय	1724.68	1912.33
19	मिजोरम	1377.56	1592.92
20	नागालैंड	651.52	633.99
21	ओडिशा	4474.95	9718.24
22	पुदुचेरी	36.65	38.97
23	**पंजाब**	**564.76**	**1281.58**
24	राजस्थान	1944.08	3239.35

25	सिक्किम	664.87	891.99
26	तमिलनाडु	2038.90	3905.91
27	त्रिपुरा	606.71	665.15
28	तेलंगाना	972.15	1813.56
29	उत्तर प्रदेश	6368.72	9930.05
30	उत्तराखंड	4726.38	5943.13
31	पश्चिम बंगाल	1847.81	4389.60
32	लद्दाख	338.25	762.64
कुल		**74,556.21**	**118029.17**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के भाग (ग) और (घ) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पंजाब राज्य में स्वीकृत और सड़कों से जोड़ी गई बसावटों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत	जोड़ी गई
1	अमृतसर	29	29
2	बठिंडा	9	9
3	फरीदकोट	1	1
4	फिरोजपुर	11	11
5	गुरदासपुर	102	102
6	होशियारपुर	15	15
7	जालंधर	19	19
8	कपूरथला	21	21
9	मनसा	21	21
10	मोगा	4	4
11	मुक्तसर	31	31
12	नवाशहर	14	14
13	पटियाला	8	8
14	रोपड़	24	24
15	संगरूर	2	2
16	बरनाला	4	4
17	फाजिल्का	28	28
18	मोहाली	0	0
19	पठानकोट	13	13
20	तरनतारन	33	33
कुल		**389**	**389**